मध्य प्रदेश, इमारती लकड़ी (बहती हुई, किनारे अटकी हुई, डूबी हुई, बिना स्वामी की) नियम, 1986

सार संक्षेप - राज्य शासन का यह मत है कि अधिसूचना क्र. 1120 दिनांक 22-11-1911 के द्वारा जो बहती हुई, किनारे लगी, अटकी हुई, डूबी हुई बिना स्वामी की, लकड़ी के लिये जो नियम बने थे, उनका आज की परिस्थिति के अनुसार संशोधन आवश्यक है। अतः राज्य शासन एतद्द्वारा राज्य के आरक्षित, संरक्षित, अवर्गीकृत वनों के भीतर या बाहर के समस्त तालाबों (Tanks), सरोवर (Lakes) और नदियों में बहती हुई, किनारे लगी, अटकी हुई, डूबी हुई, बिना स्वामी की, इमरती लकड़ी की प्राप्ति (Acquisition) और संग्रहण (Collection) के सम्बन्ध में, इस सम्बन्ध में पूर्व में बनाये सब नियमों, आदेशों को रद्द कर, निम्न नियम बनाता है -

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ -

(1) इन नियमों का नाम "मध्य प्रदेश, इमारती लकड़ी (बहती हुई, अटकी हुई, डूबी हुई, किनारे लगी और बिना स्वामी की) नियम, 1986" होगा।

(2) इसका विस्तार पूरे मध्य प्रदेश क्षेत्र में होगा।

(3) ये नियम मध्य प्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने वाले दिनांक से प्रभावशील होंगे।

2. परिभाषाएं -

(1) 'अधिनियम से तात्पर्य' भारतीय अधिनियम, 1927 (वर्ष 1927 का 16) है।

(2) "बहती हुई" किनारे लगी', 'अटकी हुई' डूबी, या बिना स्वामी की" से तात्पर्य कोई चिन्हांकित या बिना चिन्हांकित लकड़ी जो मोटाई में 60 से.मी. या अधिक तथा लंबाई में आधा मीटर या उससे अधिक हो।

(3) "विनिर्दिष्ट क्षेत्र" (Specified area) से तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से है जो वन मण्डलाधिकारी घोषित करे और जहाँ बहती हुई किनारे लगी, अटकी हुई, डूबी या बिना स्वामी की लकड़ी को पकड़ने का कार्य उस प्रकार व उस व्यक्ति द्वारा, जिन्हें वन मण्डलाधिकारी आदेशित करे, किया जावे।

3. बहती हुई, अटकी हुई, डूबी, बिना स्वामी की लकड़ी पर हक व अधिकार - ऐसी समस्त अचिन्हांकित (Unmarked) इमारती लकड़ी, जो किसी मुख्य नदी, उसकी सहायक नदियों, सरोवर या तालाब में बहती, किनारे लगी, डूबी या बिना स्वामी की, पाई जावेगी वह राज्य शासन की संपत्ति होगी जब तक कोई व्यक्ति उस पर अपना हक व अधिकार का दावा सिद्ध नहीं करता।

4. बहती हुई, किनारे लगी, अटकी, डूबी या अन्य बिना स्वामी की लकड़ी को पकड़ने का अधिकार

(1) वन मण्डलाधिकारी द्वारा अधिकृत कोई वन अधिकारी या अन्य व्यक्ति, बहती हुई किनारे लगी, अटकी हुई, डूबी या अन्य प्रकार की, बिना स्वामी की लकड़ी को पकड़ सकता है :
परन्तु इमारती लकड़ी को इस प्रकार पकड़ने के उपरान्त, उसे वन अधिकारी को जिसे वन मण्डलाधिकारी अधिकृत करे, सौंपना होगा और ऐसे व्यक्ति को, जिसने लकड़ी पकड़ कर वन अधिकारी को सौंप दी है, पकड़ने का व्यय, वन मण्डलाधिकारी के निर्णय अनुसार मिलेगा।

(2) वन मण्डलाधिकारी को बहती हुई, किनारे लगी, अटकी, डूबी या बिना स्वामी की लकड़ी पकड़ने के लिये विशेष व्यवस्था करने से कोई के नियम बाधित नहीं होंगे। वन मण्डलाधिकारी द्वारा अधिकृत व्यक्ति के अतिरिक्त विनिर्दिष्ट क्षेत्र में कोई अन्य व्यक्ति को बहती हुई किनारे लगी, अटकी हुई, डूबी या बिना स्वामी की लकड़ी को पकड़ने का अधिकार नहीं होगा।

(3) विनिर्दिष्ट क्षेत्र (Specified area) में पकड़ी गई (Salved) सभी बहती हुई, किनारे लगी, अटकी हुई, डूबी या बिना स्वामी की लकड़ी को विशेष हथौड़ें (Marking Hammer) से चिन्हांकित किया जावेगा और वन मण्डलाधिकारी द्वारा निर्धारित काष्ठ भण्डार (Depot) में संग्रहीत किया जावेगा। ये पकड़ने का कार्य निम्न अनुसार किया जा सकता है :

(i) विभाग द्वारा।

(ii) कार्य ठेके (Job contractor) द्वारा।

(i) परन्तु जब कार्य 'कार्य ठेका' (Job Contract) पर कराना आवश्यक हो तो स्थानीय प्रचार कराकर आवेदन प्राप्त करना चाहिये और जिस व्यक्ति को ठेका दिया जावे उससे पर्याप्त राशि 'नकद जमानत' (Cash security) के रूप में जमा कराना चाहिये।

(ii) "जॉब कान्ट्रेक्टर" (Job contractor) जिन नावों व नाविकों को लकड़ी पकड़ने के कार्य पर लगावेगा, उसका वन मण्डलाधिकारी से पंजीकरण करावेगा। इस पंजीकरण हेतु कोई फीस देय नहीं होगी।

(iii) "जॉब कान्ट्रेक्टर" ऐसी प्राप्त समस्त इमारती लकड़ी को, कार्टिंग चालान से (जो उसे इस कार्य हेतु वन मण्डलाधिकारी से प्राप्त होंगे), तत्काल परिवहन कराकर ऐसे डिपो में देगा जिसे वन मण्डलाधिकारी ने इस प्रकार की लकड़ी प्राप्त करने हेतु अधिसूचित किया हो। जॉब कान्ट्रेक्टर, इस प्रकार लकड़ी प्रदान कर, उस व्यक्ति से जिसका वन मण्डलाधिकारी ने अधिकृत किया जो, ऐसी लकड़ी प्रदान करने की रसीद लेगा।

(4) ऐसा कोई व्यक्ति जो यह समझता है कि इस प्रकार पकड़ी एवं डिपों में संग्रहीत लकड़ी, पर उसका अधिकार है, तो वह लकड़ी पकड़े जाने एवं ऐसी लकड़ी के लिये स्थापित डिपो में थप्पी में जमाने के 15 दिवस के भीतर, वन मण्डलाधिकारी को अपना दावा, अपने दावा सिद्ध करने के प्रमाण सहित प्रस्तुत करेगा।

ऐसे आवेदन का वन मण्डलाधिकारी द्वारा परीक्षण किया जावेगा और दावा स्वीकार करने या अस्वीकार करने का आदेश पारित कर उसका निराकरण किया जावेगा। परन्तु किसी दावे को जब तक अस्वीकार नहीं किया जावेगा, जब तक आवेदन को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया हो। वन मण्डलाधिकारी द्वारा इस प्रकार की गई सुनवाई की कार्यवाही को लेखबद्ध किया जावेगा।

वन मण्डलाधिकारी, इस प्रकार एक प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिए, ऐसे दावों को निपटाने हेतु अपने उपवन मण्डलाधिकारी या सहायक वन संरक्षक को अधिकृत कर सकेगा।

5. अपील - ऐसा कोई व्यक्ति, जो उपवन मण्डलाधिकारी या सहायक वन संरक्षक और/या वन मण्डलाधिकारी के आदेश से पीड़ित हो, वह उसके पद में वरिष्ठ अधिकारी को अपील कर सकता है तथा अपीलीय अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा ।

6. दावा स्वीकार होने पर प्रक्रिया – उस स्थिति में, जब किसी व्यक्ति का पकड़ी गई लकड़ी का दावा स्वीकार होता है तो वह लकड़ी, वन मण्डलाधिकारी द्वारा निर्धारित लकड़ी पकड़ने की फीस (Salvage fees) पटाने पर उसको दे दी जावेगी ।

7. बही लकड़ी संग्रहीत होने पर, कोई दावा न होने पर शासकीय सम्पत्ति मानी जावेगी – समस्त बहती हुई, किनारे लगी, अटकी, डूबी या बिना स्वामी की पकड़ी हुई काष्ठ भंडार में संग्रहीत होती है और इस प्रकार पकड़ने एवं डिपो में थप्पी लगाने (Stacking) के 15 दिन तक किसी भी व्यक्ति द्वारा दावा नहीं किया जाता तो वह लकड़ी शासन की सम्पत्ति मानी जावेगी और उसका व्ययन बिक्री द्वारा या अन्य विधि से, जैसा वन मण्डलाधिकारी निश्चित करे, किया जावेगा ।

8. ऐसे लकड़ी पर लागू होने वाले अधिनियम – बहती हुई, किनारे लगी, अटकी, डूबी या बिना स्वामी की लकड़ी पर भारतीय वन अधिनियम 1927, म. प्र. वनोपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम 1969, म.प्र. काष्ठ चिरान (विनियमन) अधिनियम 1984 और इनके एवं अन्य अधिनियमों के अन्तर्गत बने नियम लागू होंगे । वे नियम, अधिसूचना और आदेश जो इमारती लकड़ी पर लागू होते हैं, वे जहां तक इन नियमों के विपरीत नहीं होंगे, इस प्रकार बहती हुई, किनारे लगी, अटकी, डूबी या बिना स्वामी की लकड़ी पर भी लागू होंगे ।